छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 223 | प्रकरण क्रमांक –**SM-EXP-2023-02089**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''शिव इन्क्लेव'', प्रमोटर–महामाया कन्स्ट्रक्शन, द्वारा–श्री हरिवल्लभ अग्रवाल, पता–बिन्दा सोनकर स्कूल के सामने, शिव वाटिका, अश्वनी नगर, जिला–रायपुर (छ.ग)

प्रोजेक्ट–''शिव इन्क्लेव'' ग्राम–सड्ढू, जिला–रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
18/08/2026	– प्रकरण प्रस्तुत। – प्राधिकरण द्वारा दिनाँक 19.06.2024 को अनावेदक के विरूद्ध रूपये 10 लाख की शास्ति अधिरोपित की गई थी, जिससे व्यथित होकर अनावेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक–MA No. 144 of 2024 में आदेश पारित किया गया है :– Accordingly the impugned orders (Annexure A-16) dated 19.06.2024 and order (Annexure A-1) dated 23.08.2024 are modified to the extent, that penalty of Rs. 10,00,000/- (Rs. Ten Lakh only) impossed upon the appellant is reduced to Rs. 1,00,000/- (Rs. One Lakh only) इससे स्पष्ट है कि प्राधिकरण द्वारा अनावेदक के विरूद्ध रूपये 10 लाख की शास्ति अधिरोपित की गई थी, जिसे माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर द्वारा अनावेदक की अपील को स्वीकार करते हुये रूपये 10 लाख को कम कर रूपये 01 लाख की शास्ति अधिरोपित किया गया है। अनावेदक, 30 दिवस के भीतर शास्ति की राशि निर्धारित **शासकीय मद–मुख्य शीर्ष 0216–आवास, उप मुख्य शीर्ष 02–शहरी आवास, लघु शीर्ष 105–भू संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 योजना क्रमांक 3201–रेरा द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड,** मद में चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति प्रस्तुत करें। यदि अनावेदक द्वारा 30 दिवस की अवधि में भी उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो रजिस्ट्रार, छ.ग. रेरा उक्त आदेश के अनुपालन के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करें। – आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे। – प्रकरण नस्तबीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे। सही / – (धनंजय देवांगन) सदस्य सही / – (संजय शुक्ला) अध्यक्ष	